

न्यायालय: श्री ष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला - बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-444 / 2014
 संस्थित दिनांक-28.05.2014
 फाईलिंग क्र. 234503000282014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

जसवन्त पिता धनसिंह ठाकरे, उम्र-48 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी-ग्राम चकरवाही, थाना मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-09/05/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.05.2014 को शाम 04:00 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम चकरवाही में जसवंत ठाकरे के मकान में फरियादिया सविताबाई की लज्जा का अनादर करने के आशय से बुरी नियत से फरियादिया को पकड़कर (जकड़कर) आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सविताबाई ने दिनांक-14.05.2014 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक-12.05.2014 को लगभग 4:00 बजे जब वह आरोपी जसवंत ठाकरे की दुकान चावल लेने गई थी, तब आरोपी ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया, तब वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया। फिर वह भागकर अपने घर आ गई और उसने घटना के बारे में अपने पति को बताया कि आरोपी ने बुरी नियत से उसे पकड़ा था और उसके साथ बुरा काम करने की मांग की थी। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-85/14, धारा-354 भा.द.वि. का अपराध कायम करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-12.05.2014 को शाम 04:00 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम चकरवाही में जसवंत ठाकरे के मकान में फरियादिया सविताबाई की लज्जा का अनादर करने के आशय से बुरी नियत से फरियादिया को पकड़कर (जकड़कर) आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सविता (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि घटना उसके बयान देने के 6-7 माह पूर्व की है। वह आरोपी की दुकान चावल खरीदने के लिए गई थी, तब आरोपी ने उसे बुरी नियत से देखा था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी, रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लेख किये थे, किन्तु बयान में क्या लेख किये थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने दिनांक-12.05.2014 को जब वह आरोपी की दुकान चावल लेने गई थी तो आरोपी ने बुरी नियत से दोनों हाथों से पकड़ लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने उसे पकड़कर बल प्रयोग किया था।

6— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी सेवकराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि प्रकरण में फरियादी सविता (अ.सा.1) उसकी पत्नी है और उसने उसे यह बताया था कि वह आरोपी जसवंत की दुकान गई थी। इसके अतिरिक्त उसने उसे कुछ नहीं बताया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया है कि उसकी पत्नी ने उसे यह बताया था कि

आरोपी ने उसे बुरी नियत से पकड़ा था।

7— अभियोजन साक्षी शंकरलाल पटले (अ.सा.3), उमाशंकर (अ.सा.4) ने अपने कथन में कहा है कि वे आरोपी तथा फरियादी दोनों को जानते हैं। उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुनः इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को फरियादी सविता के साथ आरोपी ने बुरी नियत का आशय रखते हुए कोई घटना कारित नहीं हुई।

8— अभियोजन साक्षी राजेन्द्र उपाध्याय (अ.सा.5) ने अपने कथन में कहा है कि वह दिनांक—14.05.2014 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादिया सविताबाई पति सेवकराम की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी जसवंत पिता धनसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक—85/14, अंतर्गत धारा—354 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादिया के बताए अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादिया सविताबाई का मुलाहिजा फार्म भरकर उसे उपचार हेतु मलाजखण्ड भिजवाया था। मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी—3 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी व साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक—14.05.2014 को ही जसवंत ठाकरे को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक—12.05.2014 की है, जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक—14.05.2014 को लेख कराई गई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने समस्त विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

9— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी सविता जो प्रकरण में फरियादी भी है। उसने यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे बुरी नियत से देखा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे जकड़ लिया था, जिससे यह आशय निकाला जा सकता है कि आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार का आपराधिक बल प्रयोग नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि

आरोपी ने घटना दिनांक को उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया था।

10— अभियोजन साक्षी उमाशंकर (अ.सा.4) के कथनों से भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि जिससे आरोपी द्वारा घटना दिनांक को फरियादी सविता के साथ उसकी लज्जा भंग करने के आशय रखते हुए आपराधिक बल का प्रयोग करने के तथ्य प्रमाणित हो रहे हों। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपी को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

cSgj

दिनांक-09.05.2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट